

06

राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं मू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 18(आई-13)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2011/8867-69 दिनांक : 15-12-11

कार्यालय आदेश

दिनांक के आदेश क्रमांक एफ 18(आई-13)आईडब्ल्यूएमपी/डब्ल्यूडीएससी/ 2010-11 /3524-637 दिनांक 09.05.2011 के द्वारा आई डब्ल्यू एम पी परियोजनासमर्त समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 में उल्लिखित विभिन्न घटकों में फण्ड वितरण के सम्बन्ध में एस एत एन ए की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 28.04.2011 में दिये गए निर्णय की अनुपालना में प्रत्येक स्तर पर विभिन्न घटकों में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक राशि का प्रतिशत विवरण निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है -

Installment	Agency	Acma.	Monitoring	Evaluation	EPA	I & CB	DPR	Water-shed Works	Levelhoods, Production system & Micro Enterprise	Consolidation	Total
1 <sup>st</sup> 100%	SLNA		0.05	0.30		0.45					0.4
	WCDC		0.15			1.75					0.80
	PIA	1.50	0.1			2.2	1.00				4.8
	WC	0.5			4.00			7.50	2.00		14
	Total	2.00	0.20	0.30	4.00	3	1.00	7.50	2.00		20
2 <sup>nd</sup> 50%	SLNA		0.075	0.35		0					0.425
	WCDC		0.075			0.4					0.475
	PIA	4.0	0.25			1.5					5.35
	WC	1.4						32.35	10.00		43.75
	Total	5.40	0.40	0.35		1.5		32.35	10.00		50
3 <sup>rd</sup> 30%	SLNA		0.075	0.35		0				0.10	0.525
	WCDC		0.075			0.15				0.10	0.325
	PIA	1.50	0.25			0.34				0.20	2.3
	WC	1.10						20.15	3.00	2.60	26.85
	Total	2.60	0.40	0.35		0.5		20.15	3.00	3.00	30
Total (100%)	SLNA		0.20	1.00		0.05				0.10	1.35
	WCDC		0.20			1.3				0.10	1.6
	PIA	7.00	0.60			3.65	1.00			0.20	12.45
	WC	3.00			4.00			60.00	15.00	2.60	84.6
	Total	10.00	1.00	1.00	4.00	5	1.00	60.00	15.00	3.00	100

भारत सरकार के पत्र क्रमांक Z-11011/1/2010-PPC दिनांक 11.10.2011 के माध्यम से आई डब्ल्यू एम पी योजना हेतु विभिन्न घटकों के अन्तर्गत राशि के प्रतिशत में आंशिक परिवर्तन करते हुए जीविकोपार्जन गतिविधियों में 9 प्रतिशत एवं उत्पादन एवं माइक्रो एन्टरप्राइजेज घटक में 10 प्रतिशत तथा जलग्रहण विकास कार्य घटक में 56 प्रतिशत राशि का प्रावधान निर्धारित किया गया है। अतः भारत सरकार के उक्त आदेशों के अनुसार अब प्रत्येक स्तर पर रखे जाने वाले फण्ड के प्रतिशत का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है -

Installation	Agency	Admn.	Monitoring	Evaluation	EPA	I & CB	DPR	Water-shed Works	Livelihoods	Production system & Micro Enterprise	Consolidation	Total
			0.05	0.30		0.05						0.4
	SLNA		0.05			0.75						0.80
	WCDC					2.2	1.00					4.8
1 <sup>st</sup>	PIA	1.50	0.1		4.00			7.50	1.00	1.00		14
20 %)	WC	0.5		0.30	4.00	3.00	1.00	7.50	1.00	1.00		20
	Total	2.00	0.20	0.35		0						0.425
	SLNA		0.075			0.4						0.475
	WCDC		0.075			1.1						5.35
2 <sup>nd</sup>	PIA	4.0	0.25					30.35	6.00	6.00		43.75
50 %)	WC	1.4		0.35		1.5		30.35	6.00	6.00		50
	Total	5.40	0.40	0.35		0					0.10	0.525
	SLNA		0.075	0.35		0.15					0.10	0.325
	WCDC		0.075			0.35					0.20	2.3
3 <sup>rd</sup>	PIA	1.50	0.25					18.15	2.00	3.00		26.85
30 %)	WC	1.10		0.35		0.5		18.15	2.00	3.00		30
	Total	2.60	0.40	1.00		0.05					0.10	1.35
	SLNA		0.20			1.3					0.20	1.6
	WCDC		0.20			3.65	1.00				2.60	12.45
Total	PIA	7.00	0.60		4.00			56.00	9.00	10.00	2.60	84.6
100 %)	WC	3.00		1.00	4.00	5.00	1.00	56.00	9.00	10.00	3.00	100
	Total	10.00	1.00	1.00	4.00	5.00	1.00	56.00	9.00	10.00	3.00	100

आज आईडब्ल्यूएमपी के अतिरिक्त अन्य भी प्रायः सभी का सम्पूर्ण प्रयोग का विवरण प्रत्येक मासिक रिपोर्ट में प्रोविडेंट व. अनुसार सभी स्तरों पर पुनर्विचार प्रदानित कर एक प्रतिपत्र में प्रती आसार पर प्रति व. विवरण सुनिश्चित किया जाये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक एफ 18(आई-15)विजयपुर/आईडब्ल्यूएमपी/2011-2012/227-695 दिनांक 15.12.11

- प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासन शाखा सचिव प्रशासन विकास एवं प्रशिक्षण सचिव
  2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
  3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
  4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
  5. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
  6. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईएस), जे.ए.वि. एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर।
  7. उपनिदेशक (आईडब्ल्यूएमपी-मानवविकास/आई), जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
  8. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड लेवल कम जल संयंत्र, जिला परिषद समस्त
  9. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
  10. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश किमतीय वेब साईट पर अपलोड करवाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक